समाहरणालय, जामताड़ा
(समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा)
Service procurement के आधार पर आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु अंशकालीन शिक्षक चयन संबंधी विज्ञापन

सरकार के सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का संकल्प ज्ञापांक–2151 दिनांक–15.07.2015 के आलोक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत Service procurement के आधार पर, कार्य लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तद्नुसार, जामताड़ा जिला के लिए **हिन्दी–01 (एक), संस्कृत–01 (एक), शारीरिक शिक्षक–01 (एक), भूगोल–01 (एक) एवं विज्ञान–01 (एक), कुल–05 (पाँच) स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों एवं 04 (चार) इंटर/मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों** का अंशकालिक रूप से चयन हेतु अर्हता प्राप्त इच्छुक उम्मीदवार से निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है।

शिक्षकों की अंश कालीन सेवा प्राप्ति हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया एवं शर्तें होंगी–

1. अंशकालीन सेवा प्राप्ति हेतु 6 माह के लिए योग्यताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों की सेवा मानदेय (प्रति घंटी 200/–(दो सौ) वृतिका का भुगतान) पर लिये जाने हेतु चयन किया जायेगा।
2. आवश्यकतानुसार चयनित शिक्षकों को अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटी के आधार पर रखा जायेगा। सेवा संतोषप्रद होने पर आवश्यकतानुसार उन्हें पुनः अगले छः माह के लिए रखा जा सकता है। जिला स्तरीय गठित कमिटि द्वारा कार्यों का मूल्यांकन कर इस पर निर्णय लिया जायेगा।

सुविधा एवं भत्ते :–

- अंशकालीन सेवा हेतु किसी भी तरह का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
- चयनित शिक्षक किसी भी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
- चयनित शिक्षकों का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।
- चयनित शिक्षकों को विद्यालय में आवासन की सुविधा नहीं दी जायेगी।
- चयनित शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर, किए गए अध्यापन कार्य के आधार पर वृतिका का भुगतान प्रति घंटी 200/–(दो सौ) की दर से किया जायेगा।

पात्रता :–

1. शिक्षण कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जायेगा, जिसमें उसी प्रखण्ड के अनु0जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला शिक्षकों तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में सरकार के आरक्षण का प्रावधान का भी अनुपालन किया जायेगा।
2. जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन के दौरान प्रखण्ड स्तर पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाये जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से इसका चयन किया जायेगा।
3. योग्य अभ्यर्थी की सेवा लिये जाने हेतु आवश्यकतानुसार विषय के आधार पर ही चयन किया जायेगा।
4. जिलास्तर/प्रखण्ड स्तर पर संबंधित विषय के P.G./Graduate B.Ed डिग्रीधारकों एवं सामान्य विषय के लिए शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारकों को मेधाक्रम के आधार पर, उपर्युक्त शर्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से कमिटि द्वारा चयन किया जायेगा।

आवेदन पत्र सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं आचरण प्रमाण–पत्र के साथ विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के अन्दर निबंधित डाक से ***परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा, कम्बाईंड बिल्डिंग, जामताड़ा–815351*** के पते पर निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत ही प्राप्त की जायेगी।

जिला कल्याण पदाधिकारी, आई.टी.डी.ए.,जामताड़ा।	उप विकास आयुक्त–सह– परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए.,जामताड़ा।	उपायुक्त, जामताड़ा।

ज्ञापांक 928 /आई.टी.डी.ए, जामताड़ा दिनांक 15/07/19

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। उपरोक्त चयन संबंधी सूचना स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित कराई जाय।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। उपरोक्त सूचना, झारखण्ड सरकार के वेबसाईट www.jamtara. nic. in पर इच्छुक उम्मीदवार के जानकारी हेतु अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

जिला कल्याण पदाधिकारी, आई.टी.डी.ए.,जामताड़ा।	उप विकास आयुक्त–सह– परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए.,जामताड़ा।	उपायुक्त, जामताड़ा।